



# भा.कृ.अनु.परि.—केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान

पहूज बॉध के पास, झॉसी—ग्वालियर मार्ग, झॉसी — 284003 (उ० प्र०)

☎ : 0510-2730214, 2730154 Fax : 0510-2730364 Web : [www.cafri.res.in](http://www.cafri.res.in)



क्रमांक : 3-15/2021-22

दिनांक : 07/09/2021

## नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान पर "हरी घास - कुल लगभग 14 हैक्टर (175 किंवटल)" की खुली बोली द्वारा नीलामी करने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक बोलीदाता उक्त "हरी घास" की प्रतिस्पर्धात्मक दरों हेतु दिनांक 14/09/2021 को अपरान्ह 2.30 बजे संस्थान के समिति कक्ष में खुली बोली हेतु उपस्थित हों। उक्त हरी घास का भौतिक निरीक्षण एवं अन्य जानकारियों के लिये संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे के मध्य सम्पर्क किया जा सकता है एवं सम्पूर्ण जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट [www.cafri.res.in](http://www.cafri.res.in) पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी (मण्डार)



# भा.कृ.अनु.परि.—केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान

पहूज बॉध के पास, झॉंसी-ग्वालियर मार्ग, झॉंसी - 284003 (उ० प्र०)

☎ : 0510-2730214, 2730154 Fax : 0510-2730364 Web : www.cafri.res.in




क्रमांक : 3-15/2021-22

दिनांक : 07/09/2021

## नीलामी की शर्तें

1. केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झॉंसी द्वारा "हरी घास - कुल लगभग 14 हैक्टर (175 किंवटल)" की नीलामी जैसी है - जहाँ है, (As is - Where is basis) के आधार पर केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान परिसर में खुली बोली द्वारा दर आमन्त्रित कर सम्पन्न की जायेगी ।
2. हरी घास की नीलामी बोली के लिये बोलीदाता द्वारा बोली के पूर्व, कुल रूपये 1,000/- (एक हजार) धरोहर धनराशि के रूप में नकद जमा कराना अनिवार्य होगा । उक्त धरोहर राशि को प्रथम तीन उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर, शेष सभी को तत्काल वापिस कर दिया जायेगा ।
3. नीलाम की जाने वाली हरी घास का भौतिक निरीक्षण केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग में सम्पर्क स्थापित कर, किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे के मध्य, किया जा सकता है ।
4. "हरी घास - कुल लगभग 14 हैक्टर (175 किंवटल)" की नीलामी में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 14/09/2021 को अपरान्ह 2.15 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है । किसी भी कारण से विलम्ब से उपस्थित होने के लिए यह संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा ।
5. विलम्ब से उपस्थित होने पर, नीलामी बोली में सम्मिलित किये जाने के लिए इस संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार विचार नहीं किया जायेगा ।
6. हरी घास की खुली नीलाम बोली के लिए संस्थान द्वारा न्यूनतम धनराशि निर्धारित की गयी है । खुली बोली उक्त न्यूनतम निर्धारित धनराशि से ही आरम्भ की जायेगी । जो कि उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में तय की जायेगी । सामान्यतः निर्धारित न्यूनतम नीलामी बोली धनराशि से कम की नीलामी बोली स्वीकार नहीं की जायेगी । जिस पर कि संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा गठित समिति एवं स्वयं निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा ।
7. इस संस्थान के निदेशक महोदय की संस्तुति उपरान्त उच्चतम नीलामी बोलीदाता को नीलाम बोली की तिथि के 5 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दिनांक 15/10/2021 तक उक्त हरी घास की कटाई/दुलाई करना अनिवार्य होगा ।
8. नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त क्रय की गयी हरी घास की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी । किसी भी प्रकार की क्षति के लिये इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. चयनित तथा सफल बोलीदाता को क्रय की गयी हरी घास को ले जाने हेतु अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी । इस संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करायी जायेगी ।
10. चयनित तथा सफल निविदादाता को क्रय की गयी हरी घास को संस्थान के मुख्य द्वार से प्रातः 08.30 बजे से सायं 5.30 बजे के मध्य, उचित गेट पास प्राप्त कर के ले जाना होगा ।
11. चयनित बोलीदाता / क्रेता द्वारा हरी घास को ले जाने हेतु बैलगाड़ी का प्रयोग करने की अवस्था में, अपने जानवरों को एक स्थान पर बॉधकर ऐसे रखना अनिवार्य होगा, ताकि वे जानवर संस्थान की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान ना पहुँचा सकें ।
12. चयनित बोलीदाता या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पत्ति को जानबूझकर क्षति पहुँचाने की स्थिति में, क्षतिपूर्ति नियमानुसार क्रेता को करनी होगी ।

13. चयनित बोलीदाता / क्रेता द्वारा क्रय की गयी हरी घास को समय पर ना उठाने की स्थिति में सम्पूर्ण जमा राशि को संस्थान द्वारा जब्त कर लिया जायेगा ।
14. राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त प्रकार के करों के भुगतान का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा ।
15. नीलामी बोली की निर्धारित तिथि के दिन अवकाश घोषित होने की अवस्था में आगामी कार्य दिवस को तदनुसार मान्य किया जायेगा ।
16. संस्थान के निदेशक एवं सम्बन्धित कार्य हेतु गठित समिति को कोई भी अन्य महत्वपूर्ण शर्त, जो यहाँ अपूर्ण है, को सम्मिलित करने का अधिकार होगा ।
17. हमारा न्यायिक क्षेत्र झॉंसी न्यायालय परिसर होगा ।
18. निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झॉंसी को खुली नीलाम बोली को बिना कारण बताये स्वीकार करने एवं निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
19. नीलामी सम्बन्धी समस्त अधिकार निदेशक, केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान, झॉंसी के पास सुरक्षित रहेंगे। विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा । जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

  
प्रभारी अधिकारी (मण्डार)

  
07/09/21